प्रस्ताव पर लगायी गई आपत्तियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

1– बिन्दु संख्या 1 के अनुपालन में पेयजल लाईन वन भूमि में बिछाये जाने के औचित्य (Justification) को प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता से प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑन–लाईन पोर्टल फार्म ए भाग–1 पर यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

2– बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन निर्माण कार्य में स्थायी रोजगार उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रस्तावित कार्य में मात्र क्षेत्र में ब्रिटिश काल में निर्मित (बिछाई गई पेयजल लाईन) के कुछ भाग को, जो राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चकराता–त्यूनी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, को शिफ्ट किया जाना है।

3– बिन्दु संख्या 3 के अनुपालन में villagewise breakup को ऑन–लाईन पोर्टल फार्म ए भाग–1 पर यथास्थान संशोधित कर दिया गया है।

4– बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FRA 2006 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही करते हुए अभिलेख यथास्थान अपलोड किये गये हैं। उपस्थिति ग्रामवासियों के नाम एवं हस्ताक्षर के मीटिंग के प्रपत्र पर ही अंकित किये गये गये हैं। कतिपय तकनीकी समस्या के कारण बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम कम्प्यूटर में पृथक पृष्ठ पर अंकित न हो पाने के कारण बैठक के कार्यवृत्त में अंकित किये गये हैं।

Lt Col
Est No 22

हस्ताक्षर एवं मुहर प्रयोक्ता एजेन्सी

ESTABLISHMENT No 22
PIN-934822
O. BRANCH